B-4
L-15

1853 का चार्टर एक्ट :-

- भारत में कम्पनी का शासन तब तक रहेगा जबतक ब्रिटिश संसद की इच्छा होगी, और कम्पनी क्राउन के न्यासी के रूप में कार्य करती रहेगी।
- गवर्नर जनरल परिषद में एक और स्थायी सदस्य शामिल किया गया।
- कानून निर्माण के लिए 6 अतिरिक्त सदस्यों को केन्द्रीय स्तर पर गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। (ये सभी सरकारी सदस्य थे)

नोट : भारत में संसद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है।

- नियुक्तियों को लेकर कम्पनी का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। नियुक्ति अब प्रतियोगिता के आधार पर होगी। मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।
- भारतीय कानून के मुद्दे पर ब्रिटेन में विधि आयोग का गठन किया गया।

भारत में बेहतर शासन के लिए अधिनियम - 1858 :

- ब्रिटेन में परिवर्तन हुआ और 'बोर्ड आफ कन्ट्रोल' को समाप्त कर दिया गया।
- इसके स्थान पर भारत सचिव नामक पद का गठन किया गया।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

इसे भारत मंत्री भी कहते थे और यह कैबिनेट रैंक का मंत्री होता था।

- 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन, यह एक सलाहकारी संस्था थी इसमें आठ सदस्य क्राउन के द्वारा मनोनीत होते थे, और सात सदस्य कम्पनी के डायरेक्टरों के द्वारा होते थे।
- भारतीय शासन के सन्दर्भ में कम्पनी के डायरेक्टरों की भूमिका समाप्त कर दी गई
- भारत में भारतीय प्रशासनिक ढाँचे में इस अधिनियम से कोई परिवर्तन नही हुआ हालांकि गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा।
- भारत में शासन का संचालन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के निर्देशों के अनुसार तथा क्राउन के नाम से किया जाने लगा।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

महारानी विक्टोरिया की घोषणा :-

- भारतीय शासन के सन्दर्भ में -

- ब्रिटिश सरकार भारत में साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगी।
- ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजा के साथ भेदभाव नही करेगी।
- भारतीय शासकों को गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार दिया गया।

1861 का भारत परिषद अधिनियम :

- वायसराय परिषद में एक और स्थायी सदस्य शामिल किया गया।
- वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
- विभागीय प्रणाली या कैबिनेट सिस्टम की शुरूआत की गई
- अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम छः और अधिकतम बारह होगी। इसमे आधे सदस्य गैर-सरकारी होंगे (अंग्रेज या भारतीय कोई भी हो सकते हैं)
- वायसराय परिषद के सदस्य एवं अतिरिक्त सदस्यों को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा।
- ब्रिटिश प्रांतो को पुनः कानून बनाने के अधिकार दिए गए हालांकि इसके लिए वायसराय से अनुमति लेनी होगी।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- ब्रिटिश सरकार और कम्पनी।
- कम्पनी के अधिकार।
- भारत मे केन्द्रीय कार्यपालिका।
- केन्द्रीय विधायिका।
- गवर्नर जनरल
- प्रांत के उपर केन्द्र का वर्चस्व।

प्रश्न- 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के प्रावधानो को संक्षेप में बताऐं। 1784 के पिट्स इण्डिया एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी?

ब्रिटिश काल मे प्रशासनिक ढाँचा :

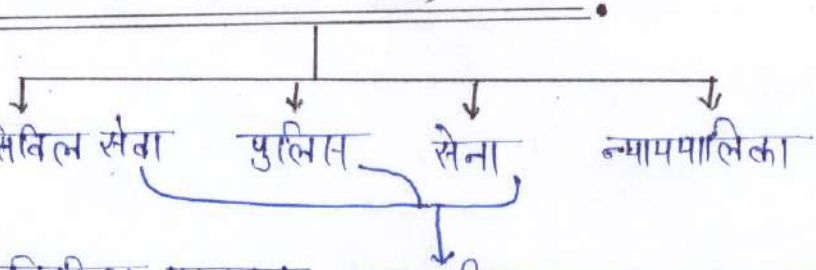

- सिविल सेवा
- पुलिस
- सेना
- न्यायपालिका

• इन्हे ब्रिटिश सरकार का तीन स्तम्भ माना जाता है

सिविल सेवा :-

• सर्वप्रथम 1793 में प्रसंविदा (covnoted) के आधार पर सिविल सेवकों की नियुक्ति की शुरूआत लार्ड कार्नवालिस ने की।
(भारत में आधुनिक सिविल सेवा का जन्मदाता लार्ड कार्नवालिस को माना जाता है। कार्नवालिस द्वारा सिविल सेवकों के लिए 1500 रूपये प्रतिमाह तथा कुल राजस्व का एक प्रतिशत वेतन दिये जाने की व्यवस्था की गई।

• कार्नवालिस ने सिविल सेवकों से न्यायिक कार्यों को अलग किया। (इसे शक्तिपृथक्करण कहते हैं)

• 500 पॉण्ड से अधिक वार्षिक आय वाले पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति की जाएगी।

• 1800 ई. में भारत में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की।

• हालांकि इस निर्णय का विरोध किया गया और आगे चलकर ब्रिटेन के हैलेबरी (1806) नामक

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

स्थान पर प्रशिक्षण के लिए कालेज की स्थापना की
(कालेज का नाम ईस्ट इण्डिया कालेज)

- 1833 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- 1853 के अधिनियम में प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान।

Note :- परीक्षा केवल ब्रिटेन में होगी और इसके लिए अंग्रेजी, लैटिन एवं ग्रीक भाषा का ज्ञान आवश्यक है।

- प्रारम्भ में प्रवेश के लिए अधिकतम उम्र 23 वर्ष रखी गई और 1878 तक आते आते 19 वर्ष कर दी गई।
- 1863 ई. में सत्येन्द्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया।
- 1886 में सिविल सेवा में सुधारों को लेकर एचिसन समिति बनाई गई।
- 1919 के अधिनियम में परीक्षा का आयोजन भारत में भी किए जाने का प्रावधान किया जायेगा।
- सर्व प्रथम 1922 में इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- 1924 में ली आयोग ने यह अनुशंसा की कि सिविल सेवा में 50 प्रतिशत भारतीयों को शामिल किया जाए।
- 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
- 1935 के अधिनियम में भारत में केन्द्रीय एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग के प्रावधान (गठन का) किये गये।
- 1945 तक सिविल सेवा में अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों की संख्या अधिक हो गई थी।

पुलिस

मुगल → फौजदार
→ कोतवाल

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Trusted Learning Platform
KHAN SIR

वारेन हेस्टिंग (1772 से 85) ने जमींदारों से प्रशासनिक अधिकार छीन लिए।

कार्नवालिस - 1793 में दारोगा के अधीन पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई। (आधुनिक पुलिस प्रशासन का विस्तार)

- सिन्ध पर नियंत्रण के पश्चात आमरलैंड के पुलिस ढाँचे पर आधारित पुलिस प्रशासनिक ढाँचे का गठन किया गया जो कि सोपानक्रम पर आधारित था।

- 1861 में इण्डियन पुलिस एक्ट के द्वारा इसे पूरे भारत में लागू किया गया, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ यह व्यवस्था आज भी चल रही है।
- 1902 में फ्रेजर आयोग (पुलिस सुधार पर) का गठन किया गया।

प्रश्न- 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट से लेकर 1861 के भारत परिषद अधिनियम को संक्षेप में बताएँ?

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR